प्रेस नोट
दिनांक 01.04.2025

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाज अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद चेकबुक व 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस बरामद–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा जालसाज अभियुक्त राजन श्रीवास्तव पुत्र कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव नि0 जानकीनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को रोडबेज बस स्टैण्ड के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 03 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद चेकबुक व 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

वादी अवधेश कुमार सिंह पुत्र भूपजीत सिंह नि0 ग्राम गंगापुरवा पो0 परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि वह गोण्डा डिपो में परिचालक के पद पर कार्यरत है। राजन श्रीवास्तव पुत्र कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव नि0 जानकी नगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा द्वारा मेरे व मेरे कई परिचालक दोस्तो के साथ फर्जी चेक देकर पैसा पहुंचाने के नाम पर कैश ले लेने की घटना कारित की गयी है। जिसको हम लोगो द्वारा रोडबेज पुलिस चौकी की मदद से पकड़ लिया गया है जिसके कब्जे से 03 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद चेकबुक व 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राजन श्रीवास्तव पुत्र कृष्ण बहादुर श्रीवास्तव नि0 जानकीनगर थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 03 अदद मोबाइल फोन।
02. 01 अदद चेकबुक।
03. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

पंजीकृत अभियोग–

01- मु0अ0स0–228/2025, धारा 316(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

01. मु0अ0सं0–301/2023, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–305/2024, धारा 420,406,419,120 बी भादवि थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. हेड का0 प्रदीप चौधरी।
02. का0 दिवस हलदार।

मीडिया सेल, गोण्डा।